न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 52/2025 G.C.M.S. No. 2025/790 दर्ज दिनांक : 19.12.2025

अपीलार्थी:

1. राजाराम पुत्र खंगारराम, जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी दक्षिण मेघवालबास, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मीठाराम पुत्र खंगारराम, जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी नया बस स्टेण्ड के पास, डॉ. संपूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।
2. खंगारराम पुत्र धरमा, जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी दक्षिण मेघवालबास, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।
3. शंकरलाल पुत्र खंगारराम, आयु वयस्क, निवासी दक्षिण मेघवालबास, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।
4. चुन्नीलाल पुत्र खंगारराम, आयु वयस्क, निवासी दक्षिण मेघवालबास, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।
5. जैसाराम पुत्र खंगारराम, आयु वयस्क, निवासी दक्षिण मेघवालबास, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।
6. गोपाराम पुत्र खंगारराम, आयु वयस्क, निवासी दक्षिण मेघवालबास, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।
7. बसंतीदेवी पुत्री खंगारराम, पत्नि कालुराम, जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी रामदेव मंदिर गली, दक्षिण मेघवालबास, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 73/2025 बअनवान मीठाराम बनाम खंगाराराम में पारित आदेश दिनांक 17.11.2025

पैरोकार–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दिलीप राजपुरोहित, श्री दिनेश कुमार माली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 73/2025 बअनवान मीठाराम बनाम खंगाराराम में पारित आदेश दिनांक 17.11.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या दो से सात के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर मौजा सिरोही, पटवार हल्का सिरोही 2 के खसरा संख्या 3358, 3359, 3360, 3361, 3362 कुल किता पाँच रकबा 4.010 हैक्टेयर तथा खसरा संख्यारू 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 कुल रकबा 0.5934 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जो प्रार्थी के दादा धरमाजी पुत्र नगाजी मेघवाल के पुश्तैनी हक अधिकार व कब्जे की व खातेदारी की होने से उनकी मृत्यु के बाद उनके सभी पुत्रों को उपरोक्त सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, जिससे रेस्पोडेंट संख्या एक को अपने दादा की सम्पत्ति में जन्म से अधिकार है तथा उसका उक्त सम्पति में अधिकार होने से उसे खातेदार घोषित किया जावे तथा उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जावे, बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर मातहत अदालत ने उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्यारू 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 कुल रकबा 0.5934 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या दो खंगाराराम पुत्र धरमाजी मेघवाल के एकल खातेदारी तथा कब्जा काश्त की होने से उपरोक्त आराजी उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति थीं। मातहत अदालत ने इस बात पर गौर ही नहीं किया है कि खसरा संख्या 2590, 2591 व 2592 कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा की आराजी सरकारी बिलानाम भूमि थीं, जिसमें से 10 बीघा 19 बिस्वा आराजी का खातेदार कृषक रेस्पोडेंट संख्या दो खंगार पुत्र धरमाजी व उनके भाई हरि पुत्र धरमाजी को सहायक जिलाधीश, सिरोही के राजस्व वाद संख्या 07/1977 में पारित निर्णय दिनांक 09.11.1979 के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया गया था। वाद के उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तकरण सख्या 1505 दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया था, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या दो व उनके भाई हरि पुत्र धरमाजी के नाम से खसरा संख्या 2590/1, 2591/1 व 2592/1 कुल किता तीन रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा आराजी की खातेदारी दर्ज की गई। उसके बाद वर्तमान भू प्रबन्ध के दौरान उपरोक्त पुराने खसरा संख्या के नए खसरा संख्या 3366, 3368 व 3369 बने, जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है। रेस्पोडेंट संख्या दो व उनके भाई हरि पुत्र धरमाजी के नाम से खातेदारी दर्ज होने के बाद दौनों खातेदार रेस्पोडेंट संख्या दो व उनके भाई हरि पुत्र धरमाजी के मध्य आराजी का विभाजन हुआ तथा दोनों के हिस्से अलग-अलग होने के बाद रेस्पोडेंट संख्या दो के हिस्से में आई आराजी के खसरा संख्या 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 कुल रकबा 0.5934 हैक्टेयर दर्ज किए गए। उपरोक्त प्रकार से उपरोक्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या दो खंगाराराम पुत्र धरमाजी मेघवाल की स्वअर्जित सम्पत्ति थीं, फिर भी मातहत अदालत ने उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति को पुश्तैनी होना

मानकर निर्णय पारित किया है, जो गलत तथा विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेंट संख्या दो खंगाराराम पुत्र धरमाजी मेघवाल जिवित है तथा पिता के जीवनकाल में रेस्पोडेंट सख्या एक द्वारा खातेदारी की घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है, जो कानूनन मेन्टेनेबल ही नहीं था, फिर भी उपरोक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी की श्रेणी में नहीं आती हैं, जिससे मातहत अदालत ने उपरोक्त सम्पत्ति को पुश्तैनी होना मानकर रेस्पोडेंट संख्या दो का उक्त आराजी में अधिकार होना माना है, सरासर गलत है। रेस्पोडेंट सख्या एक के हक में प्रथम दृष्टया केस नहीं होते हुए भी मातहत अदालत ने मानकर बड़ी भारी भूल की हैं। वादग्रस्त खसरा संख्यारू 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 कुल रकबा 0.5934 हैक्टेयर की आराजी रेस्पोडेंट संख्या दो की स्वअर्जित सम्पत्ति थीं। उपरोक्त आराजी का खातेदार कृषक रेस्पोडेंट संख्या दो को घोषित किया गया था तथा बतौर खातेदार नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था, उसके बाद आराजी का विभाजन होने से रेस्पोडेंट संख्या दो विभक्त रूप से मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा था, फिर भी गलत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या दो ने अपने खातेदारी की खसरा संख्यारू 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 कुल रकबा 0.5934 हैक्टेयर की आराजी पंजीकृत बख्शीशनामा के जरिए अपीलान्ट को देकर अपीलान्ट को कब्जा सुपुर्द किया। पंजीकृत बख्शीशनामा विलेख दिनांक 25.04.2025 के अनुसार अपीलान्ट मौके पर काबिज है। अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत बख्शीश विलेख होते हुए भी रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, पंजीकृत बख्शीश विलेख को किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने अपने खातेदारी की उपरोक्त आराजी को आबादी में रूपान्तरित करवाने की कार्यवाही कर सरेण्डर किया है तथा उसके बाद नगर परिषद, सिरोही द्वारा पट्टे भी जारी हो चुके हैं। उपरोक्त खसरा संख्यारू 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 कुल रकबा 0.5934 हैक्टेयर की आराजी कृषि योग्य भूमि नहीं होने से आबादी भूमि है, जिसके सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है, जिससे भी निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रार्थी मीठाराम द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.11.2025 द्वारा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के दादा धरमा पुत्र नगाजी की होने से प्रार्थी का उत्तराधिकार से पुश्तैनी हक, हिस्सा निहित है। जो प्रार्थी के दादा की मृत्यु के बाद उनके अन्य वारिसान के साथ अप्रार्थी संख्या 1 को भी उत्तराधिकार में हिस्सा प्राप्त हुआ। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 के हक–हिस्से में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 का जन्म से सहदायिक आधार पर खातेदारी अधिकार निहित है। जिनकी घोषणा की मांग करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी वादग्रस्त आराजीयात वादी की पैतृक होने से प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में मानते हुए प्रार्थी के पक्ष में अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई।
3. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स के पिता प्रतिवादी संख्या 2 खंगाराराम पुत्र धरमाजी की स्वअर्जित आराजी हैं, न कि धरमाजी से प्राप्त पैतृक आराजी। खंगाराराम द्वारा अपीलांट को पंजीकृत बख्शीशनामा द्वारा वादग्रस्त आराजी अंतरित की गई। अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित ही नहीं हैं।
4. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 01.11.1971 एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पद संख्या अ वर्तमान खसरा संख्या 3358 से 3362 क्रेता धरमा पुत्र नगाजी द्वारा वादग्रस्त आराजी क्रय की गई। जिसके आधार पर नामांतरण से क्रेता धरमा का नाम भू–अभिलेख में दर्ज किया गया है तथा धरमा के फौत होने पर विरासतन धरमा के वारिसान अपीलांट एवं वादी के पिता खंगाराराम आदि के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार खसरा संख्या 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 की आराजी न्यायालय आदेश हरि पुत्र धरमा व खंगार पुत्र धरमा के नाम दर्ज हुई। जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2013 बअनवान वरदाराम पुत्र धरमाजी बनाम खंगारराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 3358 से 3362 तक की आराजीयात वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पिता खंगाराराम की स्वअर्जित संपत्ति नहीं

होकर उसे विरासतन प्राप्त पैतृक आराजी हैं। लेकिन खसरा संख्या 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 की आराजी वस्तुतः खंगार पुत्र धरमा की पैतृक आराजी होना स्पष्ट नहीं हैं। अतः हमारे विनम्र मत में प्रकरण में प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 3358 से 3362 के संबंध में प्रथमदृष्टया मामला वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में बखूबी साबित होता है। लेकिन खसरा संख्या 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 के संबंध में प्रथमदृष्टया मामला वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होता है। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आराजीयात के संबंध में वादी के पक्ष में मानकर कानूनन भूल की हैं। इसी प्रकार सुविधा का संतुलन भी खसरा संख्या 3358 से 3362 की सीमा तक वादी के पक्ष में बखूबी साबित है तथा यदि उक्त आराजीयात के संबंध में अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध नहीं किया गया तो भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर रहन, बेचान व अंतरण आदि संभव है। जिससे वादी को अपूरणीय क्षति संभव है। अतः हमारे विनम्र मत में वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 की आराजीयात की सीमा तक अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं। लेकिन खसरा संख्या 3358 से 3362 की सीमा तक अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं। अतः अपील अपीलांट इसी अनुरूप आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने व सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 73/2025 बअनवान मीठाराम बनाम खंगाराराम में पारित आदेश दिनांक 17.11.2025 वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 4568/3366, 4570/3368, 4571/3369 कुल रकबा 0.5934 हैक्टेयर की सीमा तक अपास्त किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 3358, 3359, 3360, 3361 व 3362 कुल रकबा 4.010 हैक्टेयर की सीमा तक अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली